


फर्द अहकाम

छीतरमल वगै० बनाम राज० सरकार
 यालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर
 न सं० १५/२०२५

0सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05.08.2025	अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल०आर०एक्ट पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्टें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.08.2025 को पेश हो।	
	29.8.25	<p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर </p> पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी/अभिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 12/9/25 को पेश हो।	
	12.9.25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिवादी संघ ने कार्य रथागित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 10.10.25 को पेश हो।	
	10.10.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/11/25 को पेश हो।	
	14.11.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17.11.25 को पेश हो।	
	17.11.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभिवादी एवं अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/अभिवादी को आज जमानत में प्रथम-प्रथम स्वयं पर तीन बार शर्तों लगावारी गयी। बावजूद आज्ञा लागू करने में उपरान्त भी प्रार्थी/अभिवादी	

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>के आगलक से छापिर नही आने के कारण पत्राकी सन्तर्गत आदेश - 9 विग्रम - 3 प्रा. 21 के तहत नया छापरी व अग्रम पत्रकी से खारिज की गयी। पत्राकी केसल अनुसार हीकर नवंबर से काम हीकर नोखिल दन्तर ही।</p> <p><i>Neha</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>